



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Ref No. NR-1/PG/PASTL//Stage-1 Compliance

Date: 12.09.2023

To,
The Chief Conservator of Forest,
Jaipur, Rajasthan

Subject: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected Forest land for Construction of 765kV D/C Sikar-II-Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar, and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar-II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)" Regarding compliance of Stage-I and issuance of working permission & Stage-II approval.

Reference: F. 14(Trans)2021/FCA/प्रमुख

Proposal Number.: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Date of Proposal: 26-07-2021

Diversion Area: 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Dear Sir,

This is about letter no 08B/RAJ018/2023-JPR for compliance against Stage-I approval of Online Proposal No. - FP/RJ/TRANS/144853/2021 for diversion of 15.8321Ha. under 765kV D/C Sikar-II - Aligarh Transmission line, in Rajasthan portion from AP-01 to AP-183, the common point of Rajasthan-Haryana state boundary (passing through three districts Alwar, Jaipur and Sikar) under the Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase- II part-D, which shall benefit various States in the Northern Region including Rajasthan.

Our pointwise compliances against the conditions that need to be complied with prior to handing over of forest land by the State Forest Department are stated below:

Sl. No.	Condition	Compliance
1	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per the compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation, and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increases for works scheduled for subsequent years.	The cost of compensatory afforestation has been deposited vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023 - to RAJASTHAN CAMPA Fund on dated and same is showing as PAID status on the Parivesh portal Payment proof is attached in Annexure - A(i)
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated	NPV has been deposited vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023 - to RAJASTHAN CAMPA fund.



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

	5/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in the regard.	
3	The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.	We shall deposit the same as and when demand is raised towards the same. The undertaking to this effect is hereby submitted. The undertaking is attached in Annexure- A (ii)
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of a prescribed certificate from the concerned District Collector.	The FRA certificate issued by the District Magistrate; Sikar, Jaipur & Alwar is attached as Annexure- A(iii)
5	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting a compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.	The required KML files of diverted land and CA areas have been submitted with all requisite details.
6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to the CAMPA fund only through the e-portal.	All the funds as per the demand notes raised have been deposited through the e-portal to RAJASTHAN CAMPA vide. - UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023.

B. Conditions that need to be strictly complied with on the field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of the undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

S. No.	Condition	Compliance
1	The legal status of forest land shall remain unchanged.	We undertake that the legal status of forest land shall remain unchanged. Undertaking to this effect is attached at Annexure B (i).
2	Forest land will be handed over to the User Agency only after the required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	CA land has already been identified and is available with the Forest Department. Annexure B (ii)
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	Compliance is related to the forest department. Annexure B (iii)
4	User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	We hereby confirm that the felling of trees shall be minimized and shall not be in any case more than 1917(Alwar-49, Jaipur-1853, Sikar-15). The cost of the felling of trees shall be deposited.



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

		The undertaking is attached in Annexure-B(iv)
5	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We confirm that no flora and fauna of the adjoining area shall be damaged during the work. An undertaking to this effect is attached at Annexure-B(v).
6	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	An undertaking to this effect is attached at Annexure-B(vi).
7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(vii).
8	No Labor camp shall be established on the Forest Land.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(viii).
9	Sufficient Firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of the alternate fuel.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(ix).
10	The boundary of the diverted Forest land shall be suitably demarcated on the ground at the Project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(x).
11	No additional or new path will be constructed inside the Forest area for the transportation of construction materials for execution of the project work.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xi).
12	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xii).
13	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Government of India.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xiii).
14	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by end of March every year.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xiv).
15	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any. For the time being in force, as applicable to the project.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xv).
16	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017 -FC dt.29/01/2018.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xvi).
17	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection, and development of Forests & Wildlife	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xvii).



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)


(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

18	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xviii).
Specific Conditions:-		
1	The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.	The Penal NPV has been deposited vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023 - to RAJASTHAN CAMPA fund.
2	State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	In this regard, a notice has been given by the State Forest Department (DFO, Alwar) to the User Agency. (Attached as the Annexure X.)
3	User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provision of the Forest (Conservation) Act,1980.	The Reply for the same has been furnished to the State Forest Department by the User Agency requesting for the waive of the charges. (Attached as the Annexure Y.)
4	Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under section-3A and 3B of the FCA,1980.	

It is further to intimate that the principle approval has been published in two daily newspapers (Hindi & English) (copy attached). Since, this project is of a linear nature, it is requested to kindly process for grant of working permission and Stage-II so that the balance of construction work in forest areas can be taken up.

Enclosures: - As above as per the list


Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
 Kanchan Kumar Choudhary
 मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
 Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
 पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं
 (100% Subsidiary of POWERGRID)
 अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Page 04 of 04

UTR No. [NEFT]

29-	TO TRANSFER STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA	NEFT INB: CNACPTEHQ4 TRANSFER TO 4697157044307 / STOCK HOLDING	99922	39,000.00
(29- Aug- 2023)	INB NEFT UTR NO: SBIN123241578337 -NEFT INB: CNACPTEHQ4 TRANSFER TO 4697157044307	3,59,72,628.46		
29-	TO TRANSFER Rajasthan Campa	NEFT INB: CNACPTGCJ2 TRANSFER TO 3199301044303 / Rajasthan Campa	99922	3,51,37,177.27
(29- Aug- 2023)	INB NEFT UTR NO: SBIN123241577797 -NEFT INB: CNACPTGCJ2 TRANSFER TO 3199301044303	8,35,451.19		
29-	TO TRANSFER STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA	NEFT INB: CNACPTEHQ3 TRANSFER TO 4697155044309 / STOCK HOLDING	99922	40,500.00
(29- Aug- 2023)	INB NEFT UTR NO: SBIN123241577802 -NEFT INB: CNACPTEHQ3 TRANSFER TO 4697155044309	7,94,951.19		

*This is a computer generated statement and does not require a signature.


कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरप्रिंट, अलवर

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-08-2023

Agency Name.	SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED)
Application No.	64144853232
MoEF/SG File No.	8B/RAJ018/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	PLOT NO-339 , SHANTI KUNJ SCHEME, ALWAR (RAJASTHAN) Alwar
Amount(in Rs)	35137177.27/-

Amount in Words :Three Crore Fifty-One Lakh Thirty-Seven Thousand One Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564144853232 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-08-2023

Agency Name.	SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED)
Application No.	64144853232
MoEF/SG File No.	8B/RAJ018/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	PLOT NO-339 , SHANTI KUNJ SCHEME, ALWAR (RAJASTHAN) Alwar
Amount(in Rs)	35137177.27/-

Amount in Words :Three Crore Fifty-One Lakh Thirty-Seven Thousand One Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564144853232 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank,
ubin0903710@unionbankofindia.bank


 कंचन कुपार चौधरी / K. K. Chaudhary
 मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager
 पावर ग्रिड अलीगढ़ सिकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
 अलीगढ़ / ALWAR



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नगावासा, अलवर (राज.) – 301001

क्रमांक ३०२५



दिनांक : 22/08/23

गणक पत्र

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Construction of 765 KV D/C Sikar-II-Aligarh transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar (Raj.) in Rajasthan portion AP-01 to AP-180 common point Rajasthan state Boundary. Total route length 174.350 km की प्रथम स्वीकृति उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक ८बी/राज.018/2023-जेपीआर दिनांक 10. 08.2023 से जारी हो चुकी है। प्रथम स्वीकृति की पालना हेतु भारत सरकार के उक्त पत्रांक के निर्देशानुसार यूजर एजेंसी से नियमानुसार राशि वसूल की जानी है।

क्र.सं.	शर्त	गणना	कुल राशि
1	शर्त (ए) संख्या 01 के अनुसार क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि	17 है 0 X Rs.1,82,875/-	31,08,875/-
2	शर्त (ए) संख्या 02 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 04.3215 है 0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि	04.3215 है 0 X Rs.9,57,780/-	41,39,046.27/-
3	विशेष शर्त (1) के अनुसार कायकारी एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के कारण 0.15 है 0 क्षेत्र की एन.पी.वी के रूप में वसूल की जाने वाली राशि (143667 का 20 प्रतिशत)	0.15 है 0 X Rs.9,57,780/-	28,733/-
4	शर्त (बी) संख्या 04 के अनुसार वन भूमि पर स्थल 49 पेड़ों के (यूजर एजेंसी के खर्च पर) पातन हेतु राशि	–	20,000/-
5	Special Condition : Transmission Line के नीचे प्रत्यावर्तन प्रस्तावित क्षेत्र पर छोटी Height के औषधीय पौधों का वृक्षारोपण से संबंधित राशि	4.3215 है 0 X Rs.6,81,876.35/-	29,46,727/-
		Total	Rs. 1,02,43,381.27/-

सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार राशि 31,08,875/- + 41,39,046.27/- + 28,733/- + 29,46,727/- =

Rs. 1,02,23,381.27/- रुपये कैम्पा फण्ड खाता संख्या 520101263743681 यूनियन बैंक सी.जे.ओ.ए कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में जमा कराकर प्राप्ती रसीद इस कार्यालय को भिजवायें एवं प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में स्थित वनस्पति के Rs. 20,000/- रुपये का डी.डी उप वन संरक्षक, अलवर के नाम भिजवायें।

(१० के० श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, defsikar@gmail.com)

क्रमांक :एफ ()एफसीए/उवसंसी/2023-24/८७३९

दिनांक: २२.८.२३

निमित:-

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
सीकर—अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड,
अलवर, राजस्थान।

विषय:- CONSTRUCTION OF 765 KV D/C SIKAR-II- ALIGARH TRANSMISSION LINE, DISTRICT-SIKAR, JAIPUR & ALWAR (RAJASTHAN) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 COMMON POINT RAJASTHAN STATE BOUNDARY. TOTAL ROUTE LENGTH 180.946 KM.

(Online Proposal No.- FP/RJ/TRANS/144853/2021)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज018/2023—जेपीआर दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज018/2023—जेपीआर दिनांक 10.08.2023 द्वारा 15.8321 Ha. (Sikar-0.2278 Ha.) वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति 1917 वृक्षों के पातन सहित प्रदान की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावे :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(1) की पालना में 1.00 है० वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि 3,36,000 /-(In Words Three Lakh Thirty six thousand rupees only) एवं ट्रांसमिशन लाईन के नीचे बौने/औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि 1,48,986 /-(In Words One Lakh Fourty Eight thousand Nine hundred Eighty Six rupees only) वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(2) की पालना में एनपीवी राशि 0.2278 ha. x 9.5778 lac per ha. = 2,18,182 /-(In Words Two Lakh Eighteen thousand one hundred eighty two rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(4) की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या B(4)की पालना में वन भूमि पर खड़े 11 वृक्षों की कीमत राशि रुपये 28,104 /-(In Words Twenty Eight Thousand One hundred Four rupees only) राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावे तथा पातन की जाने वाली वन सम्पदा का परिवहन यूजर एजेंसी स्वयं के खर्च से कर नजदीकी वन चौकी/रेंज/भंडार कार्यालय में पहुंचायेगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या A(1) एवं A(2) की पालना में कुल राशि = 7,03,168/- (In Words Seven Lakh Three Thousand One hundred Sixty Eight rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान एवं शर्त संख्या B(4) की पालना में 28,104/- (In Words Twenty Eight Thousand One hundred Four rupees only) रूपये जरिये डी.डी उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावें।

अतः शर्त संख्या A(3, 6), B (1 से 18 तक) में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 10.08.2023 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 05 प्रतियों एवं शर्त संख्या A(1) एवं A(2) की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(वीरेन्द्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक,
सीकर
दिनांक:— २२.४.२२

क्रमांक एफ सम/ ४७५० - ५३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक,
सीकर

भीम ♦ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ♦



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165
 क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2023-24/ ४८५) दिनांक १८/८/२०२३
 निमित्त,

वरिं महाप्रबंधक,

सीकर ग अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
 प्लाट नं.-339, शांति कुंज स्कीम, अलवर, राजस्थान।

विषय:- प्रस्ताव "Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan- Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District-Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के पत्र संख्या-8बी-राज 018 / 2023-JPR दिनांक 10 अगस्त, 2023 (संलग्न) एवं कार्यालय प्रमुखसं (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 7113-16 दिनांक 11. 08.2023 (संलग्न) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव " Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan- Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District-Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021" में 15.8321 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गयी थी। जिसके क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के पत्र संख्या-8बी-राज 018 / 2023-JPR दिनांक 10 अगस्त, 2023 के द्वारा उक्त प्रकरण में 15.8321 है 0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/02/2009 and

3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
6. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation is as below:

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/Comptt. No.	Area (ha)
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00
2	Jaipur	Kotputli	Buchra	07	32.50
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00
					Total 50.50

4. User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
6. User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.

9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The forest land shall not be used for any purpose other than this specified in the project proposal.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC di 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Specific Conditions:

1. The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.
2. State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
3. User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.
4. Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under Section-3A and 3B of the FCA, 1980

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

अतः उक्तानुसार दी गयी शर्तों की पूर्ति करते हुये निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी एन.पी.वी. की राशि, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि एवं औषधिय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि कमशः ($1,08,06,440.00 + 60,25,000.00 + 73,79,188.00$) = **2,42,10,628.00/-** अक्षरे दो करोड़ बयालीस लाख दस हजार छः सो अद्वाईस रूपये मात्र "प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण" के तदर्थ निकाय के वेबपॉर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा कराने के उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आव्याय (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। ताकि आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र.सं.	राशि लिये जाने का विवरण	प्रत्यावर्तित वन भूमि (हेक्टर)	एन.पी.वी. की दर (रूपये)	राशि (रूपये)
1	एन.पी.वी.	11.2828	9,57,780.00	1,08,06,440.00
2	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	-	-	60,25,000.00
3	औषधिय पौधों का वृक्षारोपण (Medicinal Plantation) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	-	-	73,79,188.00
		Total		2,42,10,628.00

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ भिजवाये। तथा आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं किया जावें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(मनफूल विश्नाइ)

उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2023-24/**8858-59**
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक

18/8/2123

1. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जावें।

(**M** -
उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)

%



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संरक्षणिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021 / एफसीए/ प्रमुवसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर

विषय:- Diversion of 15.8321 ha. Protected Forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, District- Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan)" in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-180 Common Point Rajasthan State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District - Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKar-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/Trans/144853/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का पत्रांक 8बी/राज/018/2023-JPR दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की विन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उप वन संरक्षक एवं यूजर एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑनलाइन जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाये, साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

२०

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंड नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021 / एफसीए/ प्रमुवसं/ 71/3-16

दिनांक 11-08-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें:-

1. उप वन संरक्षक, सीकर/जयपुर (उत्तर)/अलवर
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लाट नम्बर-339, शांति कुंज स्कीम, अलवर, राजस्थान

संलग्न:-उक्तानुसार।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, ज्ञालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021 / एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर

FCA
Actm/178
121

विषय:- Diversion of 15.8321 ha. Protected Forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, District- Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan)" in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-180 Common Point Rajasthan State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District - Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKar-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/Trans/144853/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का पत्रांक 8बी/राज/018/2023-JPR दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उप वन संरक्षक एवं यूजर एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑनलाइन जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाये, साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

२०

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021 / एफसीए/प्रमुखसं/ 7113- 16

दिनांक 11-08-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें:-

1. उप वन संरक्षक, सीकर/जयपुर (उत्तर)/अलवर
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लाट

नम्बर-339, शांति कुंज स्कीम, अलवर, राजस्थान

संलग्न:-उक्तानुसार।

J
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए)
अरण्य भवन, जयपुर

1/50578/2023



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar
(Sub Regional Office, Jaipur)



ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन ", सी.एच.-३ सैकिल के समीप, सेक्टर-१०ए, गांधीनगर-३८२०१० / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक: 10th अगस्त, 2023

सेवामें,
शासन सचिव(वन),
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/TRANS/144853/2021)

विषय: Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point Rajasthan -Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District- Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(25)वन/2023, जयपुर, दिनांक-03.04.2023.
महादय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 15.8321 हेक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (**In-principle/Stage-I approval**) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **15.8321 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an

17/07/2023

1/50578/2023

undertaking to this effect.

4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
6. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation as as below:

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/Comptt. No.	Area (ha)
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00
2	Alwar	Kotputli	Buchera	07	32.50
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00
Total					50.50

4. User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
6. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.
9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior

10/07/2023

I/50578/2023

approval of Govt. of India.

14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Specific Conditions:

1. The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.
2. State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
3. User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.
4. Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under Section- 3A and 3B of the FCA, 1980.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this **In-principle / Stage-I** approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after **five (05) years**.

मवदीय/Sincerely,

(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)

क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003.

8B/RAJ018/2023-JPR

I/50578/2023

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल आधेकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, अलवर, वनमण्डल, अलवर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) वनमण्डल, जयपुर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, सीकर वनमण्डल, सीकर, राजस्थान।
6. वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर- अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (), प्लॉट नं-339, शांति कुंज स्कीम, अलवर, राजस्थान।
7. आदेश पत्रावली।



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- A (i)

Full title of the Project:

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar, and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा के अनुपालन का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर, सीकर और जयपुर संभाग में CA स्कीम के अनुसार निर्धारित प्रतिपूर्ति वनीकरण की राशि **CAMPA Fund** में UTR No. SBIN123241577797, Dated -29.08.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Kanchan Kumar Choudhary

मुख्य सचिव/नियोगी/General Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(100% subsidiary of ERG)

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- A (ii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha, Jaipur - 11.2828 ha, and Sikar - 0.2278 ha.)

अतिरिक्त N.P.V की धनराशि जमा कराने का वचन पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 के.वी. डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत भविष्य में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद डायर्टेंड वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूल की जाएगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय के लिए धन राशि को जमा करने के लिए वचनबद्ध है।

Name: _____

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सिकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(100% Subsidiary of POWERGRID)

Annexure-1

FORM-1**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR ALWAR, RAJASTHAN**

(for linear projects)

No. F 12-1/FRA/REV/2022/7656

Date. 06 / 10/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF), Government of India's letter no.11-9/98/fc(pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects.


Sub Division Officer, Tijara given by letter no.pa/fra/2022/ 478 dated 18.07.2022 by 4.1674 hectares village Nimli and 0.1541 hectares village Gothra tehsil Tijara total area 4.3215 hectares. FRA certificate is being measured to use forest land.

it is certified that 4.1674 hectares village Nimli and 0.1541 hectares village Gothra tehsil Tijara total area 4.3215 hectares forest blocks in Alwar district is proposed to be diverted in favor of the Powergrid Aligarh Sikar Transmission Limited, Alwar for construction of 765 KV D/C Sikar-Aligarh Transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan) in Rajasthan portion AP-01-to-AP-180 common point Rajasthan state boundary total route lenght 174.350 km (Proposal number FP/RJ/TRANS/144853/2021) in the state of Rajasthan.

It is certified that:-

- A. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.1674 hectares village Nimli and 0.1541 hectares village Gothra tehsil Tijara total area 4.3215 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure - i to Annexure - iii.
- B. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- C. The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: as above



(Dr. Jitendra Kumar Soni)
District Collector, Alwar

कंचन कुमार चौधरी
प्रभाग प्रबंधक
राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार

(Rajasthan) in Rajasthan portion AP-180 Common point Rajasthan State Boundary Total Route Length 174.350 Km हेतु वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड सेंट्रफल 4.3215 हेटेयर वन भूमि मे से तहसील देव ग्राम गोडा तहसील तिजारा के आ०ख०न० 779 रक्बा 6.7300 हेटेयर किस्म ऐर मुमकिन पहाड़ मे से रक्बा 0.1541 हेटेयर द ग्राम निमली तहसील तिजारा के आ०ख०न० 287 रक्बा 233.8800 हेटेयर किस्म ऐर मुमकिन पहाड़ मे से रक्बा 4.1674 हेटेयर कुल रक्बा 4.3215 हेटेयर वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2022 का कार्यपूत्र।

CONSTRUCTION OF 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar

Rajasthan portion AP-180 Common point Rajasthan State Boundary Total Route Length 174.350 Km हेतु वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर द्वारा तहसील तिजारा के ग्राम गोडा के आ०ख०न० 287 रक्बा 6.7300 हेटेयर मे से रक्बा 0.1541 व डायवर्जन प्रस्तावित है। उक्त भूमि मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के दावों के निर्णयरण हेतु जिला कलवर्ट द्वारा उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2022 को आहूत हुई। बैठक मे निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. जिला कलवर्ट, अलवर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
3. उप वन संस्थक, अलवर।
4. उपखण्ड अधिकारी, तिजारा।
5. सहायक निवेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी, तिजारा।
6. वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर।

उक्त प्रकरण मे जो उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.07.2022 को आहूत हुई थी उसमे ज्ञास्त सदस्यों के द्वारा पारित प्रसाव पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा मे ग्राम स्तरीय ग्राम सभा द्वारा पारित प्रसाव को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे जिला स्तरीय समिति के समझ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गई।

सभाओं द्वारा पारित प्रसाव से कोई भी व्यक्ति शुल्क नहीं है।

अतः उपरोक्त गणराज्य मे जिला स्तरीय समिति के समझ 60 दिनों तक उपखण्ड स्तरीय समिति के नियम के विळद्ध कोई भी आपत्ति प्राप्त होने की सम्भावना शून्य है। अतः ऐसी स्थिति मे जिला स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रसाव दिनांक 18.07.2022 से गहनत है, एवं जिला कलवर्ट कार्यालय से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्णयित प्राप्त पर प्रमाण पत्र निर्मित करने की संस्तुति प्रदान करती है।

*कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबन्धक
पावरग्रिड, अलवर*

वरिष्ठ महाप्रबन्धक,
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर
ट्रांसमिशन लिमिटेड,
अलवर

अलवर

*वरिष्ठ महाप्रबन्धक
सहायक निवेशक
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारी*

अलवर

अलवर

अलवर

अलवर

अलवर

अलवर

अलवर

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघोर, पं० स० तिजारा

**प्रेषक :- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बाघोर,
पं. स. तिजारा, जिला- अलवर (राज.)
M. 9772273081, 9828283479**

प्रेषित:-
श्रीमान्.....

क्रमांक..३०.८.८.....

अनापन्ति उभाण पञ्च

दिनांक १३.७.२२

विषय: - अनुद्धरणीय जनजाति केरा झाप परपरागत घन निवासी (घन अधिकारी की मान्यता) क्रमिकिरण 2006 के तहत ५.१८५ हेक्टर वन भूमि में ७५ केन्द्रीय उचल सिटी सीकर से अलीजट पारस्पर नियमित गाँव के सम्बन्ध में।

મુજાહ વિમાન ઓપ્પે કારી સહેદ્ય, પંચાપત લાભોઈ તિજારા કે એ કુલા 2699, ફિલો: 27.07.2022 રી
પાલભા મે ગાં નેપલી, ગાં પંચાપત લાધોર જિલ્લા અંગર (રાજ્યરાન) કે અત્યર્થિત આંગંવાલીવન
ખર્ચ કે પાવરાઇડ અલ્લીગટ, સીકર ડાસ્તખિરાન લિમિટેડ અધિકી સીસ્ક સે અલીગટ માંથી રૂ. 2500/-
ઉચ્ચા લાર્ડિટ પારેબાળ લાડન નિમાણ હેઠું થાવર સરથ્યા 181/૦ સે 183/૦ જો કી રખસરા માટ્યાં
287 ગાં નેપલી મે ૫. ૧૬૩૫ હેઠેયદ (વન ખર્ચ) મેં હો

उद्योग उत्तरांश पर अधिकारी ने जारी किया विभाग कर निर्णय किया गया है कि आर्डिनेटिंग
परेशन लाइस ने नियमित ने जालपारे में बने वाला शेष 5.1635 हेक्टेएर वन अभी
जह वनियों में अनुशमित जलजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता
अधिकारिय 2006 के अंतर्गत परिवाहित की भविष्यत जलजाति और अन्य परंपरागत वन
निवासी द्वारा व्यक्तिगत स्थुडाप निवास नहीं करते हो जात्यन्यात नीमली की अन्य क्षेत्र
सिंगार लाइस के नियम से कोई अपेक्षा नहीं है।

मह अतापति उन्होंने एक ग्राम पंचायत वर्षों की बैठक निर्देश 23/9/22 के पुस्तक
सर्वांगी द्वारा पारित किया जाता है

ग्रन्थालय
ग्राम विकास आपूर्ती
ग्राम पंचायत याचो
पं० स० तिजारा (मै.)

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

सरपंच
जाम-पं-कापा

ग्रामपंचान
सरपंच
शास प्रवालत बांधर
पं. स० तिजारा (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, गोठड़ा

पंचायत समिति तिजारा (अलवर : राज०)

क्रमांक : १

अनापति प्रमाण पत्र

दिनांक १५-०९-२०२२

विषय :- अनुसूचित भूमजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के तहत ०.१५४१ हेक्टेयर वन शूमि में ७६५ केटी डबल सार्किट सीकर से अलीगढ़ परेषण भाइन (पावरग्रिड का पूर्ण स्वामित्व) निर्माण कार्य के संबंध में;

(१) अभीमान विकास अधिकारी परेषण, पंचायत समिति तिजारा के पत्र क्रमांक : २६९९, दिनांक - २७.०७.२०२२ की पालना में ग्राम गोठड़ा, उत्तर पंच. - तिजारा, जिला - अलवर, राज० के अंतर्गत अनानेवाली वन शूमि से पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर इंस्युलेशन लिमिटेड अपनी सीकर से डबल सार्किट परेषण भाइन निर्माण कार्य हेतु टाकर संख्या - १६४/० से १६५/० लो कि खसरा संख्या ७७७; ग्राम गोठड़ा में ०.१५४१ हेक्टेयर शूमि में है -

उपरोक्त विषय अंतर्गत वर्णित प्रत्यावरण पर, दृष्टि संरक्षण द्वारा, गहन विचार विनाश कर देते ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित किया जाता है कि उक्त रुसरा संख्या वाली वन शूमि में पावरग्रिड अलीगढ़-सीकर इंस्युलेशन भाइन निर्माण के क्रम में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम २००६ के अंतर्गत) को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उक्त वन शूमि में किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी तथा व्यक्तिगत समुदाय का कोई निवास नहीं है।

उक्त विषय अंतर्गत भाइन निर्माण क्रम में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। अह प्रत्यावरण, प्रत्यावरण संख्या : ०१, दिनांक १५-०९-२२ को पारित किया जाता है और इस प्रमाण पत्र को सर्वसम्मति से जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गोठड़ा
ध० स० तिजारा (अलवर)

क्र. लाइ
सरपंच
ग्राम पंचायत गोठड़ा
ध० स० तिजारा (अलवर)

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

कार्यालय पंचायत समिति तिजारा (अलवर) राज0

contact: 01469 - 262028 E-mail: bdo_tijara@rediffmail.com

क्रमांक :- २८७९

दिनांक २७/७/२०२२

ग्राम पंचायत समिति तिजारा
ग्राम पंचायत बाधोर / गोठडा
पंचायत समिति तिजारा

विषय - अनुसूचितजनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 4 3215 हेक्टेयर वन भूमि में दिनांक 05.08.2022 को विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने वाला।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर टांसमिशन लिमिटेड अपनी सीकर से अलीगढ़ 765 के ०वी० डबल सकिंट पारेषण लाईन हेतु टावर सख्ता (181/० स 183/०) जो की छसरा सख्ता 287 ग्राम निमली, ग्राम पंचायत बाधोर मैं 4.1674 हेक्टेयर (वन भूमि) एवं टावर सख्ता (164/० स 165/०) जो छसरा सख्ता 779 ग्राम गोठडा, ग्राम पंचायत तिजारा मैं 0.1541 हेक्टेयर वन भूमि में है, कुल 4.3215 हेक्टेयर वन भूमि में है, उक्त लाईन के गलियारे मैं आने वाले दो ग्राम निमली और गोठडा मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 के तहत दिनांक 05.08.2022 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करे।

नाट - उपरोक्त अधिनियम के सबध मैं उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के कार्यालय मैं दिनांक 18.07.22 2022 को राफता पूर्ण बैठक हुई है।

क्रमांक:- २८९९-२७०३

प्रतिलिपि -

- 01 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर
- 02 श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
- 03 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी तिजारा।
- 04 कार्यालय हाजा।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति तिजारा
दिनांक:- २७/७/२०२२

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

विकास अधिकारी
पंचायत समिति तिजारा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर (राज.)

क्रमांक:- पी०७०/एफआरए/२०२२/ ५८८

दिनांक :- १८.०७.२०२२

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
अलवर।

विषय : वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते - पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन
लिमिटेड, अलवर को तिजारा के ग्राम निमली एवं गोठड़ा की कुल
4.3215 हेक्टेयर।

प्रसंग: श्रीमान के पत्रांक क्रमांक प० 12-1(04)(विविध/ FRA)राज०/22/
3486 दिनांक 26.06.2022

महोदय,

उपरोक्त प्रसांगिक विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर को तिजारा तहसील के ग्राम निमली टॉवर लोकेशन (181/0-183/0) खसरा संख्या 287 तादादि (4.1674 हेक्टेयर) तथा गोठड़ा टॉवर लोकेशन (164/0 - 165/0) खसरा संख्या 779 तादादि (0.1541 हेक्टेयर), कुल 4.3215 हेक्टेयर से पॉवरग्रिड, अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किए जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 18-07-2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन के अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण - पत्र (FRA सर्टिफिकेट) की क्रियान्विति के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण एस पत्र के सलंगन आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- बैठक कार्यवाही विवरण

कंवन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पॉवरग्रिड, अलवर

उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा जिला अलवर, राजस्थान

FRA उपस्थिति

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अलवर के पत्रांक क्रमांक : प0 12-1(04)(विविध / FRA)राज0)/22/3486 दिनांक 26.06.2022 की पालना में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण - पत्र (FRA सर्टिफिकेट) के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिती की बैठक दिनांक 18-07-2022 को 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में रखी गई जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :-

क्र. संख्या	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर	वि.वि
01	मृदृग सिंहभाटा	उपखण्ड अधिकारी		
02	डॉ. बसन्त परसोपर	तहसीलदार		
03	विनाय शाही	दोस्रा अधिकारी तहसीलदार		
04	व-अधिकारी	SDO प्राप्तकर्ता		
05.	आर्द्धतुगा	J.L. Pioneering अधिकारी		

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिंजाला अलवर सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर

बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.07.2022 का कार्यवाही विवरण:-

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.07.2022 को कार्यालय उपखण्ड तिजारा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी:-

पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 के.वी. डबल सर्किट पारेषण लाईन निर्माण के लिए तिजारा तहसील के ग्राम निमली टॉवर लोकेशन (181/0 – 183/0) खसरा संख्या 287 तादादि (4.1674 हेक्टेयर) तथा ग्राम गोठड़ा टॉवर लोकेशन (164/0 – 165/0) खसरा संख्या 779 तादादि (0.1541 हेक्टेयर), कुल 4.3215 हेक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 के.वी. डी.सी. सर्किट सीकर-अलीगढ़ पारेषण लाईन निर्माण के लिए ग्राम निमली टॉवर लोकेशन (181/0 – 183/0) खसरा संख्या 287 तादादि (4.1674 हेक्टेयर) तथा ग्राम गोठड़ा टॉवर लोकेशन (164/0 – 165/0) खसरा संख्या 779 तादादि (0.1541 हेक्टेयर), कुल 4.3215 हेक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिए जाने की चर्चा की गयी।

उपखण्ड तिजारा, जिला अलवर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी तिजारा,

विकास अधिकारी

तहसीलदार तिजारा,

सदस्य

सदस्य

सदस्य

उक्त कमेटी की अनुसंशा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पॉवरग्रिड, अलवर

उपरखण्ड अधिकारी,
तिजारा उपखण्ड (विवाहपत्र)

FRA - SIKAR

FORM-I

(For Linear Projects other than Plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Rajasthan

Sr. No.....945

Office of the District collector, Sikar

Date 3-7-23

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (conservation) second amendment rules 2014; and forest (conservation) Amendment rules 2016] it is certified that 0.2278 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Sr. General Manager, Sikar-II Aligarh Transmission Limited (100% Subsidiary of POWERGRID), Alwar for construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, District-Sikar, Jaipur, & Alwar falls within the jurisdiction of Village-Badhalo Ki Dhani Khasra No- 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 & 2763 in Tehsil- Dantaramgarh, District-Sikar. It is further certified that:

- a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2278 Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 01 to attachment 14.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- c) The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above

(Dr. Amit Yadav)

District Collector Sikar
Signature valid

Digitally signed by Amit Yadav
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2023.07.03 00:07:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4168322



कंचन कुमार योधरी
गुरु भगवान्बंधक
पावरग्रिड, अलवर

— कार्यालय जिला कलवटर सीकर :—

एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे बनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान डॉ. अमित यादव, जिला कलवटर सीकर की अधिकारी में शिटिंग आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेंडो पर विचार विमर्श किया गया :—

क्र. सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1.	Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-Sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022	2.3055 हेक्टेयर	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
2.	Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT vilage-MALKEDA, Tehsil & DISTRICT -Sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021	0.1649 हेक्टेयर	श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर
3.	Construction of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-Sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022	1.1880 हेक्टेयर	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
4.	Construction of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022	1.5360 हेक्टेयर	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
5.	Construction of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village -Salwadi, Tehsil - Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022	0.9810 हेक्टेयर	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
6.	Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021	0.2278 हेक्टेयर	श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ भडा प्रबंधक, लीकर-II अलीगढ़ द्रांसमिशन लिमिटेड
7.	Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage NO-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL-RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022	0.1695 हेक्टेयर	प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :—

- डॉ. अमित यादव, जिला कलवटर, सीकर।
- श्री राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
- श्री शवानी सिंह, उप वन संरक्षक, सीकर।
- श्री महेन्द्र प्रसाद, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु०पो० आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- श्री सन्दीप कुमार दीणा, (ST) जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 03 मु०पो० दरीबा तह, नीमकाथाना जिला सीकर।
- श्रीमती दीना दर्मा, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु० खैरवा कौंडाणी पो० झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

(1) बैठक में अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-Sikar स्थीकृत सड़क निर्माण कार्य डोकन से जोलो तक बीठी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा अवै वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम डोकन व

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पारप्रिड, अलवर

जीलो पटवार हल्का जीलों के खसरा नं. 13, 14, 15, 90, एवं पटवार हल्का डोकन के खसरा नं. 145, 139, 133, 132, 135, 128, 149 के रक्का 178.76 हें 0 में से 2.3055 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022 दिनांक 27.11.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन बन भूमि 2.3055 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त होने पर एवं उपखण्ड स्तरिय कमेटी में जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जारी करने हेतु बन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं बन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(2) श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT village-MALKEDA, Tehsil & DISTRICT -Sikar" जिसका वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा, निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली रक्षित बन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम मलकेड़ा के राजस्व ग्राम मलकेड़ा की बन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 212 रक्का 4.84 हें 0 - 545 / 157 रक्का 0.0548 कुल रक्का 4.8946 में से 0.1649 हें 0 बन भूमि के राजस्व ग्राम ग्राम मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर के बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन बन भूमि 0.1649 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलवटर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं बन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(3) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F. village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar स्थीर्कृत सड़क निर्माण कार्य महावा से नाके वाला बालाजी तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीधा आने वाली सड़क बन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही बन विभाग की भूमि ग्राम महावा पटवार हल्का ग्राम के खसरा नं. पुराना 2242 व 2243 व नया 934 व 935 के रक्का 117.45 हें 0 में से 1.1880 हेक्टेयर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन बन भूमि 1.1880 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलवटर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। बन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं बन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(4) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) स्थीर्कृत सड़क निर्माण कार्य न्योराना से कंसर की ढाणी तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीधा आने वाली सड़क बन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही बन विभाग की भूमि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के खसरा नं. 16, 19, 62 व 934 के रक्का 39.07 हें 0 में से 1.5360 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022 दिनांक 04.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन बन भूमि 1.5360 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलवटर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं बन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(5) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F. Village -Salwadi, Tehsil -Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) स्थीर्कृत सड़क निर्माण कार्य सालवाड़ी से अठवीचा तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीधा आने वाली सड़क बन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही बन विभाग की भूमि ग्राम सालवाड़ी पटवार ढाणी गुमान सिंह के खसरा नं. 1024, 1025, 1045, 1046, 1050, 256, 257, 261 262, 271, 273, 276, 280, 763, के रक्का 22.52 हें 0 में से 0.9810 हेक्टेयर तहसील खण्डला जिला सीकर के बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत बनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन बन भूमि 0.9810 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलवटर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत बन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं बन नहीं हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(6) श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पार्टनरशिप) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर

(3)

Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के लिये खसरा नं. 4991 / 3025, 4932 / 3024, 5131 / 3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर—। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर—। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 4991 / 3025, 4932 / 3024, 5131 / 3023, व 2763 कुल रक्षा 5.916 में से 0.2278 हैं वन भूमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FPR/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आदेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरांगत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण—पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरांगत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित काई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरांगत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नहीं हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(7) प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage NO-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasra NO. 42 & NEW KHASRA NO.313312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL- RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR" जिसका प्रादेशिक प्रबंधक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम रोहल के राजस्व ग्राम रोहल की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 47 कुल रक्षा 5.5800 में से 0.1695 हैं वन भूमि के राजस्व ग्राम रोहल तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FPR/RJ/Approach/156636/2022 के द्वारा आदेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरांगत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण—पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1695 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरांगत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित काई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरांगत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नहीं हित प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि प्रत्यावर्तन गैर वालिको कार्य हेतु संवेदनमति से स्वीकार किया जाता है।

महेन्द्र प्रसाद

(महेन्द्र प्रसाद)
जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद, सीकर

वीना वर्मा

(वीना वर्मा)
जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद, सीकर

सतीष कुमार

(सतीष कुमार)
जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद, सीकर

मवानी सिंह
उप वन संरक्षक
सीकर

राकेश कुमार
मुख्य कार्यालयी अधिकारी
जिला परिषद सीकर

डॉ. अमित यादव
जिला कलक्टर
सीकर

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़, जिला सीकर (राज.)

क्रमांक:- ५२२

दिनांक :- ०३.०५.२०२३

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद सीकर
(राजस्थान)

विषय:- वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- पॉवर ग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमीशन लिमिटेड सीकर के बधाला की दाणी की कुल 0.2278 हेक्टेयर।

प्रसंग:- जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/2916 दिनांक 06/02/2023 की पालना में।

महोदय

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है की पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमीशन लिमिटेड सीकर के बधाला की दाणी में टावर लोकेशन 06/00- 07/00 खसरा नम्बर 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 व 2763 कुल 0.2278 हेक्टेयर से पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमीशन लाइन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 10.04.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तसंबंधी नियम 2008 संसोधन नियम 2012 के अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सर्टिफिकेट) की कियान्वित के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- बैठक कार्यवाही विवरण।

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पॉवरग्रिड, अलीगढ़

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़, सीकर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.04.2023 को कार्यालय उपखण्ड दांतारामगढ़, उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो की 765 के०वी० डबल सर्किट पारेषण लाइन निर्माण हेतु दांतारामगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी में स्थित टावर संख्या 6/00 से 7/00 के बीच खसरा संख्या 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 व 2763 कुल रकबा 5.916 है० में से 0.2278 है० प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, के वनाधिकार प्रमाण पत्र से सम्बंधित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया की पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 के०वी० डबल सर्किट पारेषण लाइन निर्माण हेतु दांतारामगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी में स्थित टावर संख्या 6/00 से 7/00 के बीच खसरा संख्या 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 व 2763 कुल रकबा 5.916 है० में से 0.2278 है० प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, के वनाधिकार प्रमाण पत्र से सम्बंधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिए जाने की चर्चा की गई।

उपखण्ड दांतारामगढ़, जिला सीकर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

विकास अधिकारी
पं०सं० पलसाना

क्षेत्रीय वन
अधिकारी,
दांता

सुश्री सुनीता वर्मा
प्रधान पं०स०
पलसाना

श्री महेंद्र कुमार, ग्राम –
सुजावास वाया रानोली
सीकर

श्रीमती संतोष
कुमारी, ग्राम पोस्ट
अजबपुरा सीकर

उक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
तहसील-दांतारामगढ़,
जिला -सीकर (राज.)

FRA उपस्थिति

श्रीमान जिला कलेक्टर, सीकर के पत्रांक क्रमांक जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/2916 दिनांक 06.02.2023 की पालना मे अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सर्टिफिकेट) के सम्बन्ध मे उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.04.2023 को अधोहस्ताक्षरकृता की उपस्थिति मे रखी गयी जिसमे निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	हस्ताक्षर	अन्य विवरण
1.	सुनी प्रतीभा जी	SDM		
2.	सुनी सुनीला	पुष्टि पं.प.पण्डित		
3.	श्री महेंद्र नीणा	लट्टम पं.प.पण्डित		
4.	गोपाल ठेंडे बोरपला	BDO पं.प.पण्डित		
5.	श्री सुमेत ठेंडे बद्रा	R.O. दांता		

उपखंड अधिकारी रामगढ
तहसील-दांतारामगढ,
जिला -सीकर (राज.)

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ (सीकर)

Phone no. 01577-273193, Email id- sdodanta@gmail.com



F2(3)/SDM-DTR/REVENUE/FRA/457

DATE: 06.04.2023

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पलसाना
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, दांता
3. सुश्री सुनीता वर्मा, प्रधान पंचायत समिति पलसाना वार्ड नम्बर 07 ग्राम पोस्ट अजबपुरा सीकर।
4. श्री महेन्द्र कुमार ग्राम सुजावास वाया रानोली सीकर
5. श्रीमति संतोष कुमारी, ग्राम पोस्ट अजबपुरा सीकर।

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में उपखण्ड स्तरीय बैठक के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के पत्रांक जिपसी /निर्माण /डायर्वर्जन/ 2023/2917 दिनांक 06.02.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बधाला की डाणी तहसील दांतारामगढ़ पंचायत समिति पलसाना के खसरा नम्बर 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 कुल क्षेत्रफल 5.916 हैं में से 0.2278 हैंकटर भूमि पर अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड अलवर के द्वारा 765 केवी की ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में दिनांक 10.04.2023 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे बैठक रखी गयी है।

इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नियम समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
दांतारामगढ़

F2(3)/SDM-DTR/REVENUE/FRA/457

DATE: 06.04.2023

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर।
3. श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, सीकर-।। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर।
4. कार्यालय प्रति।

Signature valid

Digitaly signed by P. Rohita Verma
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2023.04.06.10:46 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 3591025



कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरप्रिंड, अलवर

कार्यालय पंचायत समिति पलसाना, सीकर

क्रमांक:- पंसप./2023/1035

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ़ ।

दिनांक:- 24/3/2023

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता अधि नियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए.के संबंध में ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एवं अदेय प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत।
प्रसंग :- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर का पत्र क्रमांक 2916 दिनांक 06.02.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line District-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP 180 COMMON POINT Rajasthan state Boundary के लिये खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 कुल रक्बा 5.916 में से 0.2278 है। वन भूमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक:- पंसप./2023/1035

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, सीकर।
- रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पलसाना, सीकर
दिनांक:- 24/3/2023

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पलसाना, सीकर

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी, पं.स. पलसाना (सीकर)

क्रमांक:-ग्रा.प./2023/17

दिनांक:-01.03.23

सेवा-

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय

पंचायत सभिति - पलसाना (सीकर)

विषय:- ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण भेजने बाबत।

प्रसंग:-आपका पत्र क 909 दिनांक 07.02.23 की अनुपालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयात्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी में अनुसूचित जानजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत एफ.आर.ए. के सबधं में दिनांक 23.02.23 को सम्पन्न ग्राम सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट सलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

सलग्न:-

1. ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट।

2. एफ.आर.ए.हेतु अनापति प्रमाण पत्र।

(महोदय शिळ आदि)
विकास अधिकारी
पंचायत सभिति
ग्राम भदाला
कार्यवाही विवरण
प्रस्तुति

(महोदय शिळ आदि)
विकास अधिकारी
पंचायत सभिति
ग्राम भदाला
कार्यवाही विवरण
प्रस्तुति

कार्यवाही विवरण
मुख्य महाप्रबंधक
पावरप्रिड, अलवर

कार्यालय ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी

पंचायत समिति पलसाना (सीकर) राज. 332402

आगवती देवी

सरपंच

मो. : 9414445278

ग्राम सभा २३/०२/२०२३

आज दिनांक २३/०२/२०२३ को कार्यालय ग्राम पंचायत
मदाला की दाना से श्रीमान विकास आवेदकारी पंचायत
सामाजिक पलसाना के आदेश क्र. ३०७/दिनांक २७/०२/२०२३
की अनुपालना से सरपंच श्रीमती आशुकुमारी देवी का
अध्यक्षता में ग्राम सभा का आमाजन किया गया।
इस ग्राम सभा के मैत्रियालय अवेदकारी, कामनाएँ
जनप्रतिनिधि के ग्रामीण उपायित रहे।

उपायित अवेदकारी, जनप्रतिनिधि के ग्रामीण

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| १) श्रीमती आशुकुमारी देवी (सरपंच) | आशुकुमारी |
| (२) जी जीता देवी (पंच) | |
| ३) श्रीमती केलरी देवी (पंच) | Keela Yadav |
| ४) मीमान आशीर्वद मल (पंच) | Ashirvad Mal |
| ५) " श्रीविजय आशुकुमारी (पंच) | Shri Vijay Ashu Kumar |
| ६) " बोपुराम (पंच) | |
| ७) " विवक्षार (पावरप्रिंट) | |
| ८) " शुभेन्दु कुमार (पावरप्रिंट) | Sumit Kumar |
| ९) " रामगोपाल (पावरप्रिंट) | Ramgopal |

२४७५

→ २०१२

राम

पावरप्रिंट

b Rajesh

८ नवम्बर

प्रमाणांतर प्राप्ति

केपोड

प्रियंका

कंजन कुमार वैदेशी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरप्रिंट, अलवर

जा. A. एना राम

२५११५

A. विजयल

महाल बैठक उपलब्ध
माज विकास अमी
दा चंद्रायत अमेलो
न स. पलसारप (३)

22

शान्तिकुमार

प्रधानमंत्री

~~संसद~~

बोल्डरम

रपति

जनरल

कोड. ५०

(Finger print)

फारम

हाथ

कोड. ९४

१. ग्रेन

Suresh

संसद देवी

मंत्री

हाथ

m. A. पाला

हाथ

Ram

A. पाला

अटेंटिव

कानाम देवी

हाथ

देवी प्रसाद

म. A. पाला

हाथ

म. A. पाला

देवी प्रसाद

देवी प्रसाद

कंचन कुमार शेषी
मुख्य महाप्रबंधक
पालामुखी, अलवर

म. A. पाला

हाथ

म. A. पाला

म. A. पाला

देवी प्रसाद

(कानाम देवी प्रसाद)
वार्ता विकास अधिकारी
उप पंचायत अदालत
ब. स. पालामुखी (योगिकः)

प.ल.०। ७६५ K.V. २/८ खीकड़-II अलीगढ़ टांगामिहान

लाईन्स कोर्ट लाईन निकालने की हवीकृति हेतु F.R.A
(अनापात्र प्रमाण-पत्र) जारी करने के सबध में।

नियम! - उपोर्खर्त कोरम के समस्त अधिकारी महादम प्रधान
प्रदूष रखा की श्रीमान विकास आविकारी महादम प्रधान
सामानी पलसाना के आदेश के पलसाना / २०२२-२३/९०९
दिनांक ०५/०१/२०२३ नियम ७६५ K.V. २/८ खीकड़ अलीगढ़

लाईन जो कि खलरा नं. ४९९१/३०२५, ४९३२/३०२४, ५१३/३०२३

व २७६३ ट्रेल रक्तांश ५.९१६ में से ०.२२७४ राजस्व ग्राम

वधालू की दानी में से ही उक्त लाईन से अनुच्छान्तर
भजजात्र और अन्य प्रदूषरागत बेन निवासी (बेन आविकारी
की मान्यता) तथा व्यापारी लग्न उत्तर खलरा में निवास नहीं
होते हैं उक्त लाईन के लिए अनापात्र प्रमाण-पत्र जारी रखा
के लिए उपोर्खर्त कोरम ने विचार विमर्श की गया तथा ७६५

K.V. २/८ खीकड़. अलीगढ़ लाईन निकालन ट्रेट (F.R.A)

अनापात्र प्रमाण पत्र जारी करने का नियम सब अधिकारी
में जारी किया गया।

प.ल.०२ ग्राम खला में उपोर्खर्त लदलमो के समस्त सरपंच महादम ने
शाखालव ग्राम वधाला की दानी हेतु स्वीकृत उपलब्धम केन्द्र की

जगह के नगर का प्रदाव रखा। उक्त प्रदूष घर सदल में

उपोर्खर्त लदलमो द्वारा वाद विचार विमर्श की गया। वाद

विचार विमर्श वाद लवलमुक्ती ले नियम लिया। कि उपलब्धम

केन्द्र के अवल नियम हेतु ग्राम वधाला की दानी के खलरा ने

4894/2699 किलम. वारागाड़ रक्त २३.३२ में से १००० रुपये।

प्रमाण-पत्र का आवटन करखाना जावे।

अते मे सरपंच महादमा द्वारा लघून्मवाद के साथ ग्राम खला
के अमापन की व्यवस्था की गई।

कवन युवराज बोधरा
मुख्य महाप्रबंधक
शावरमित्र, अलवर

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी, पं.स. पलसाना

क्रमांक:—ग्राप / 2023 / 12

दिनांक :—09.02.2023

आम सूचना

ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को सुचित किया जाता है कि कार्यालय ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी में श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति पलसाना के आदेश क्र 909 दिनांक 07.02.2023 की अनुपालना में दिनांक 23.02.2023 को अनुसुचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यत) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा।

जिसमें आप सभी की उपस्थिति सादर प्राथनीय है अतः ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर ग्राम सभा को सफल बनावें।

भागीदारी
भागीदारी देवी
सरपंच से रपंच
ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी
पं.स. पलसाना (झज्जर)
ग्रा.प.भदाला की ढाणी

प्रतिलिपि सुचनार्थ:—

1. श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, पलसाना।
2. राजस्व ग्राम समस्त के आम चौक में चरसा।
3. वार्ड पंच समस्त।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समस्त।
5. कार्यालय पत्रावली।

भागीदारी
भागीदारी देवी
सरपंच से रपंच
ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी
पं.स. पलसाना (झज्जर)
ग्रा.प.भदाला की ढाणी

अंबन कुमार बौद्धरी
मुख्य सहाय्यक
पावरग्रिड, अलवर

कार्यालय पंचायत समिति पलसाना, सीकर

क्रमांक: पंसप/2022-23/ १०९
सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी ।

दिनांक : ७/१/२०२३

विषय - अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए.के संबंध में ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एवं अदेय प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत ।
प्रसंगः- श्रीमान जिला परिषद सीकर के पत्रांक जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/2916 दिनांक 06.02.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के क्रम लेख है कि कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C SIKAR-II Aligarh Transmission Line DISTRICT -Sikar, jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PRORTION AP -01 TO AP 180 Common POINT Rajasthan State Boundary के लिये खसरा नं.4991 / 3025,4932 / 3024,5131 / 3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी सील दांतारामगढ़ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन नये जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरां नम्बर 4991 / 3025,4932 / 3024,5131 / 3023 व 2763 कुल रक्का 5.916 मे से 0.2278 है। वन भूमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के बेबसाइट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकारी प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन कर ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व वैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवावें ताकि समय पर जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा FRA Certificate जारी किया जा सकें।

क्रमांक: पंसप/2022-23/ १००- ११२
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर सीकर ।
2. श्रीमान मुख्य कार्यालयी अधिकारी जिला परिषद सीकर ।
3. श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर ।
4. कार्यालय पत्रावली ।

७/१/२०२३
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पलसाना

दिनांक : ७/१/२०२३

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

७/१/२०२३
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पलसाना

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला परिषद सीकर

क्रमांक:-जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ २७१६

दिनांक:- ६.९.२३

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पलसाना,
जिला सीकर

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफआरए के संबंध में ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एवं अदेय प्रमाण पत्र भिजावाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C siker-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary" के लिये खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन 5.916 में से 0.2278 हैं। वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की भूमि के उपरोक्त विषयान्तर्गत सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) के संबंध में से 0.2278 हैं। वन भूमि के राजस्व ग्राम ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बैवसाइट पर प्रस्तुत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित दोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी का कोई दावा लघित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अधिकारी भिजवाये ताकि जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा से FRA Certificate जारी किया जा सके।

क्रमांक :- जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ २७१६
प्रतिलिपि:- सूचनार्थी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद सीकर

दिनांक:- ६.९.२३

- श्रीमान जिला कलक्टर सीकर।
- श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर।
- कार्यालय प्रति।

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

राजस्थान—सरकार

कार्यालय जिला परिषद सीकर

क्रमांक:-जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ 2917

दिनांक:- ६-७-२३

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड दातारामगढ
जिला सीकर

विषय:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक की कार्यवाही एवं अदेय प्रमाण भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP -01 TO AP 180 Common POINT Rajasthan State Boundary के लिये खसरा नं. 4991 / 3025, 4932 / 3024, 5131 / 3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सङ्केत निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण—पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध प्रस्तुत की गई हैं।

वन अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा लग्भित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होने का सुनिश्चित करे। ताकी जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वनाधिकार प्रमाण—पत्र (FRA Certificate) जारी किया जा सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, सीकर

दिनांक:- २०६-२३

क्रमांक :- जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ 2917

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

- श्रीमान जिला कलक्टर सीकर।
- श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- कार्यालय प्रति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद सीकर

राजस्थान—सरकार
कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरप्रिड, अलवर

FRA - Jaipur

FORM-I

(for linear project)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Jaipur

No. ZPJ/MADA/2023/ 570

Date 28/04/2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environmental and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **11.2828 hectares (Village Buchara Khasra No. 1077, 1078, 1079, 1092, 1093 and Village Kirarodh Khasra No. 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41)** of forest land proposed to be diverted in favour of **POWER GRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LTD ALWAR, RAJASTHAN** (name of user agency) for **Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District-Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) at village Buchara & Kirarodh** (purpose for diversion of forest land) in Jaipur district falls within jurisdiction of **TEHSIL PAOTA**.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.2828 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Ward Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 respectively.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and The Sub-Division and District Level Committee have given their consent to it; (The consent of the concerned Ward Sabhas is not required as per MoEF GOL latter No.11.09.08-FC(pt.) dated 05.02.2013 & 05.01.2013)
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

कंचन कुमार दोषरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

Signature valid

Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2023.04.27 17:45:19 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com

Ph. 0141-2207970

क्रमांक : जिपज / माडा / वन / बैठक / 2023 /

दिनांक:-

बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 12.04.2023 को 12:00 PM पर कलेक्टरेट जयपुर सभागार में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति जयपुर ग्रामीण की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति अध्यक्ष श्रीमान् जिला कलक्टर जयपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर, उपवन संरक्षक जयपुर-उत्तर एवं मनोनित जिला परिषद सदस्य श्री रामकेश भीणा, श्री विजय भीणा एवं श्री मनोज कुमार कुमावत उपस्थित हुए। बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम-2008 एवं संसोधित नियम-2012 के अन्तर्गत वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिड, जिला अलवर के द्वारा प्रस्तावित Construction of 765 KV D/C Sikar-II - Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) के लिए ग्राम बुचारा (खसरा नं. 1077, 1078, 1079, 1092 व 1093 से 11.0617 हेक्टेयर वन भूमि) व ग्राम किराडोद (खसरा नं. 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42 व 1204/41 से 0.2211 हेक्टेयर वन भूमि) तहसील पावटा क्षेत्र की आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि के परिवर्तन (Diversion) के सम्बंध में चर्चा एवं विचार-विमर्श की गया।

उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर के प्रत्रांक 2032 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा बैठक में विस्तृत चर्चा व विचार-विमर्श उपरान्त उक्त परियोजना के लिए कुल आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि का FRA प्रमाण जारी करने हेतु सहमति दी गई है।

जिला स्तरीय समिति शहर की बैठक के दौरान अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि उपरोक्तानुसार आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि के चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 अन्तर्गत लिखित अथवा अनिर्णित नहीं है। अधिनियम की धारा 3(1)(e) के अनुसार जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समूदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। समिति की चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि का नियमानुसार सक्षम स्तर से प्रत्यावर्तन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

समिति सदस्यों के द्वारा सर्वसहमति से लिये गये निर्णय की अनुपालना में अध्यक्ष जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि का FRA अन्तर्गत परिवर्तन (डायवर्जन) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित कर बैठक समाप्त की गई।

(मनोज कुमार कुमावत)
(मनोज कुमार कुमावत)
उपज़िला संस्कारक
जयपुर (उत्तर)

(सुमन देवी)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)

जिला परिषद जयपुर

(जसमिति सिंह संधू)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा)

जिला परिषद जयपुर

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर

जयपुर

जयपुर

रामकेश भीणा

(रामकेश भीणा)
जिला परिषद सदस्य
वार्ड संख्या-25

(विजय भीणा)

जिला परिषद सदस्य

वार्ड संख्या-30

कंचन कुमार चौधरी

मुख्य महाप्रबंधक

पावरग्रिड, अलवर

(मनोज कुमार कुमावत)

जिला परिषद सदस्य

नं. ०३३५, जयपुर

जिला परिषद सदस्य, जयपुर

(वार्ड नं.-14)

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com

Ph. 0141-2207970

क्रमांक : जिपज/माडा/वन/बैठक/2023/५४५ - ५५४

दिनांक:- ०६-०४-२०२३

बैठक सूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम-2008 एवं संशोधित नियम-2012 के अन्तर्गत जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवश्यक वनभूमि का FRA प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में अधिनियम की क्रियान्विति हेतु श्रीमान् जिला कलवटर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की दिनांक 10.04.2023 को 04:00 PM पर कलेक्टर जयपुर सभागार में बैठक आयोजित की जावेगी।

उक्त बैठक में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के निम्न सदस्य एवं अधिकारी द्वारा भाग लिया जावेगा:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/पदनाम/मनोनित सदस्य		
1	जिला कलवटर जयपुर		अध्यक्ष
2	मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी, माडा, जिला परिषद जयपुर	सदस्य	सचिव
3	मण्डल वन अधिकारी या उपवन संरक्षक	सदस्य	
4	उपायुक्त नगर निगम जयपुर जोन	सदस्य	
5	श्री भूपेन्द्र मीणा, पार्षद, वार्ड नं.-11, नगर निगम जयपुर हैरिटेज	सदस्य	
6	श्रीमती भगवती देवी, पार्षद वार्ड नं.-27, नगर निगम जयपुर हैरिटेज	सदस्य	
7	श्री राजत विश्नोई, पार्षद वार्ड नं.- 09, नगर निगम जयपुर हैरिटेज	सदस्य	
8	श्री रामकेश मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या-25	सदस्य	
9	श्री विजय मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या-30	सदस्य	
10	श्री मनोज कुमार कुमारत, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या-03	सदस्य	

०९२९२३५५००
७७३३९९५५५५
९५१३३४०६९७

उक्त बैठक अधिशासी अभियंता (टीएण्डसी) आरवीपीएन जयपुर सिटी, वरिष्ठ महाप्रबंधक पावरग्रिड जिला अलवर एवं अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-द्वितीय (उत्तर) जयपुर के द्वारा भी भाग लिया जाएगा।

बैठक एजेन्डा :-

उपखण्ड स्तरीय समिति से अनापत्ति प्राप्त निम्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक वनभूमि को परिवर्तन कर जिला स्तर से FRA प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में चर्चा व विचार-विमर्श किया जावेगा :-

1. अधिशासी अभियंता (टीएण्डसी), आरवीपीएन, जयपुर सिटी को laying for under ground 132 KV XLPE 500 Sq. MM cable from 220 KV GSS Kunda ki Dhani to 132 KV GIS Laxman Doongari, Jaipur City Dist. Jaipur हेतु आवश्यक 0.1592 हैक्टेयर वनभूमि
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिड, जिला अलवर के द्वारा Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) के लिए ग्राम बुचारा व किराझोद तहसील पावटा क्षेत्र की आवश्यक 11.2828 हैक्टेयर वनभूमि
3. अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड-द्वितीय (उत्तर) जयपुर के द्वारा laying of pipe line water supply project at Amer Village हेतु आवश्यक 0.9406 हैक्टर वन भूमि

Signature valid

Digitally signed by Suman Devi
Designation: Additional Chief
Executive Officer/Com' ADPC
Date: 2023.04.06 / 2:27:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3582293

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक:-राजस्व / 2022 / २८३२

दिनांक :- १६।।।।।२२

अतिरिक्त मुख्यकारी कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद जयपुर


विषय:- वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते - पावर ग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड जयपुर के पावटा के ग्राम बुचारा एवं किराडोड की कुल 11.2828 हैक्टेयर

प्रसंग:- क्रमांक: जिपज / माडा / वन / 2022-23 / 161-164
दिनांक 27.07.2022 की पालना में।

महोदय

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जयपुर के पावटा तहसील के ग्राम बुचारा टावर लोकेशन 81/2-81/6 खसरा नम्बर 1077 तथादि (11.0617 हैक्टेयर) तथा किराडोड टावर लोकेशन 102/0 से 103/0 खसरा न. 22 तथादि (0.2211हैक्टेयर) कुल 11.2828 हैक्टेयर से पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम मे तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 10.11.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता कि अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारी कि मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सर्टिफिकेट) की क्रियान्वित के संबंध मे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- बैठक कार्यवाही विवरण


उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जयपुर)
पावटा जयपुर

SDM OFFICE PAOTA, Email- sdo.paota.jpr@gmail.com, Add-Oppsite to JN Vidhaylay, Paota, 303106


कंचन कुमार वाघरा
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय प्रस्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड समिति की बैठक दिनांक: 10.11.2022 को कार्यालय उपखण्ड पावटा, उपखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

पॉवरग्राह अलगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलघर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 केवी डबल सर्किट पारेशन लाइन निर्माण के लिए पावटा तहसील के ग्राम बुचारा टॉवर लोकेशन 81/2-81/6 खसरा संख्या 1077 तथादि(11.0617 हैक्ट.) तथा किराझोद टॉवर लोकेशन 102/0 से 103/0 खसरा संख्या 22 तथादि(0.2211 हैक्ट.), कुल 11.2828 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रस्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र संबोधित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है पॉवरग्राह अलगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, श्री माधोपुर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 केवी डबल सर्किट पारेशन लाइन निर्माण के लिए पावटा तहसील के ग्राम बुचारा टॉवर लोकेशन 81/2-81/6 खसरा संख्या 1077 तथादि(11.0617 हैक्ट.) तथा किराझोद टॉवर लोकेशन 102/0 से 103/0 खसरा संख्या 22 तथादि(0.2211 हैक्ट.), कुल 11.2828 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रस्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र संबोधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिये जाने की चर्चा की गई है।

उपखण्ड पावटा जिला जयपुर में अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रस्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रस्परागत वननिवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

CSA
कार्यालय वनशोधकालीन पावटा
वीय वन अधिकारी
संसदीय

विकासित आधिकारी अधिकारी
प्रदायत समिति, पावटा जयपुर
सदस्य

सहमति साक्षात् प्रिया
पावटा (जयपुर)

उक्त कमेटी की अनुसंशा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

लिंगा

प.स.स.
प्रस्परागत वननिवासी
प्रदायत समिति वन
पर्यावरण विभाग
मुख्यमंत्री, राज्यपाल (पावटा)

राजू भीणा
प्रस्परागत समिति सदस्य
दाँतिल पावटा (जयपुर)
भीरा देवी
प.स.सदस्य वार्ड नं.-05
बुचारा, पलाहपुरा (पावटा)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा जयपुर (पावटा)

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरप्रिड, अलवर

FRA उपस्थिति

श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्रांक क्रमांक जिपज/माडा/वन/2022-23/161-164
 दिनांक 27.07.2022 की पालना में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन
 अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA
 सर्टिफिकेट) के संबंध में उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 को
 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में रखी गई जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग
 लिया:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	हस्ताक्षर	वि. वि
01	रमेश शर्मा	वनपाल		
02	संदीप जौल	प्रबंधक		
03	बाबूलाल कुमार	NTDR		
04	राकेश कुमार वर्मा	BDO		
05				

उपखंड अधिकारी
 तहसील - पावटा
 जिला - जयपुर

कंचन कुमार चौधरी
 मुख्य महाप्रबंधक
 पावरग्राउंड, अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक:- राजस्व / 2022 / 1986 - २०

दिनांक:- ३-११-२२

प्रेषित:- तहसीलदार पावटा,

विकास अधिकारी पावटा, वन अधिकारी व डिप्टी मेनेजर

पावर ग्रिड

विषय:- 765 के.वी. डी.सी. सीकर-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन हेतु बैठक
के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्रांक
जिप्ज/माडा/वन/2022-23/161-164 दिनांक 27.07.2022
के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बुचारा एवं किरारोड़ में 765 के.वी.
सीकर से अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्यवासी
अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन वन आपति प्रमाण-पत्र के संबंध में
अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में दिनांक 10.11.2022 को 11.00 बजे बैठक रखी गयी है।

अतः इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नियत समय पर इस कार्यालय
में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ट्रॉफी

५-११-२०२२

उपखण्ड अधिकारी
पावटा जयपुर

6
०-क्म१९८
५-११-२०२२
दीप्ति कुमार (क्रीमी)
०.क

R
०५-११-२०२२
(Sanjeev Kumar Arya)
LDC.

8078 642914

SDM OFFICE PAOTA, Email- sdo.paota.jpr@gmail.com, Add-Oppsite to JN Vidhaylay, Paota, 303106

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक:— राजस्व /2022/1986-90

दिनांक:— ३.११.२२

प्रेषित:— तहसीलदार पावटा,

विकास अधिकारी पावटा, वन अधिकारी व डिप्टी मेनेजर

पावर ग्रिड

विषय:— 765 के.वी. डी.सी. सीकर—अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन हेतु बैठक
के संबंध में।

प्रसंग:— श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्रांक
जिप्ज/माडा/वन/2022-23/161-164 दिनांक 27.07.2022
के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बुचारा एवं किरारोड़ में 765 के.वी.
सीकर से अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्यवासी
अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन वन आपति प्रमाण—पत्र के संबंध में
अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में दिनांक 10.11.2022 को 11.00 बजे बैठक रखी गयी है।

अतः इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नियत समय पर इस कार्यलय
में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
पावटा जयपुर

कार्यालय पंचायत समिति पावटा, जिला—जयपुर (राज.)

Email ID:- bdo.jai.paota@gmail.com

क्रमांकः— पंसपा / पंचा.शा. / 2022 / ३०१०

दिनांकः— ०७/१०/२०२२

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड पावटा (जयपुर)।

विषयः— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक दौरान प्राप्त अन्नापति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 1405 दिनांक 04.08.2022

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक के दौरान प्राप्त ग्राम पंचायत जोधपुरा एवं बुचारा के अन्नापति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव मूल ही संलग्न कर श्रीमानजी की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः—

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

विकास अधिकारी
पं.स. पावटा जिला जयपुर

(कैलाश चन्द्र भैनी)
(वर्दि. सहायक)
(कार्यालय शास्त्री)

कंचनकुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर



कार्यालय ग्राम पंचायत-जोधपुर



पंचायत समिति - पावडा ज़िला - जयपुर (राज.)

सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
जोधपुर

श्रीमान्

क्रमांक/ग्रा. सभा/प्रस्ताव: ३

"अनापाते समाज पत्र"

दिनांक: २....०....२२

देशभूत: - अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बन आधिकारों की माल्यता आधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ष २०११ के तहत ०.२२१२ है। वन भूमि में ७६५ कि.मी. डबल सार्कर अलीगांव पारिषद लाइन (PASTAL) के निम्निंग कार्ड में

संदर्भ: - श्रीमान विकास आधिकारी महीदल पंचायत समिति पावडा के पंजान २२३५/३५ दिनांक - २७.०९.२२ की पालना में ग्राम किराईद मास पंचायत जोधपुरा, पावडा अपनी सीकर से अलीगांव ७६५ कि.मी. डबल सार्कर पारिषद लाइन निम्निंग है। टाव२ संख्या १०२/०० तक १०३/० जो की इवसंख्या नं. ११९०/६, ११८९/६, २२, १२०५/४२, १२०४/५१ ग्राम किराईद में ०.२२१२ है। भूमि में है।

३५ पैकिंग प्रस्ताव पर विचार विभाग के बाद आज दिनांक - ०२.१०.२२ की सर्वसमीकृत से यह प्रस्ताव अनुमानित परित किया गया है कि उक्त वन भूमि में उपर्युक्त दावर/लाइन निम्निंग कर्त्री क्षमांक में किसी भी जनजातिय वर्ग/भूमि/आबादी को और अन्य परम्परागत वर्त निवासी तथा व्यक्ति को दूषित करना नहीं करता है। ग्राम पंचायत जोधपुरा की ग्राम किराईद में यह वन भूमि से हो सकता है। लाइन के निम्निंग से कोई अपाति नहीं है। ग्राम सभा इस प्रस्ताव से एकमत है कि अनापाते समाज पत्र ग्राम पंचायत जोधपुरा की बैठक दिनांक ०२.१०.२२ के प्रस्ताव संख्या ०३ द्वारा पारित की जाती है।

(Signature)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जोधपुरा
प. स. पावडा ज़िले जयपुर

(Signature)

ग्राम पंचायत जोधपुरा
प. स. पावडा (जयपुर)

(Signature)
कंवन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पारिषद, अलवर

कार्यालय :- ग्राम पंचायत, बुचारा

पंचायत समिति पावटा (जयपुर) राज.



प्रेषक:-

बिमला देवी
सारण्च
ग्राम पंचायत बुचारा
पंचायत समिति पावटा (जयपुर)
मो. 9828493395

प्रेषिति:

श्रीमान्

क्रमांक-ग्रा./पं./बु./ग्रामपाल/महापाल ०३ 'अनापाते महामास पत्र'

दिनांक ०२-१०-२२

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य पश्चपरामत वन आधिकारी की मान्यता आधिकारीम २००८ के तहत ११.११२४ है। वन भूमि में ५८५ के वी. उबल सार्किट सीकर अलीगढ़ पर्याय लाइन (PASTL) के नियमित कार्य में।

संदर्भ:- श्रीमान विकास आधिकारी महामास पंचायत समिति पावटा के पंडाल २२३५/३७ दिनांक १७.०९.२२ की पालना में ग्राम बुचारा ग्राम पंचायत बुचारा, पावटा अपती सीकर - सी अलीगढ़ ५८५ के वी. उबल सार्किट पार्याय लाइन विनाय हैलू टाके संख्या ८१/२, ८१/३, ८१/५, ८१/५, ८१/६, जो इस रखसंरक्ष मंडला १०७७, १०७८, १०७९, १०९२, ११९३ में ग्राम बुचारा में ११.०६.१८ है। इसमें मृगी मृगी है।

उपर्युक्त मस्ताव पर विचार किमेश के बाद आज दिनांक - ०२-१०-२२ की सर्वसमीकृत वन भूमि अनुसूचित पारित किया गया है कि उक्त वनभूमि में उपर्युक्त वन विचारित आ समावित नहीं किया गया है। उक्त वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य पश्चपरामत वन विवासी तथा व्याकृति समूह विचार नहीं करता है।

ग्राम पंचायत बुचारा को ग्राम बुचारा में उक्त वनभूमि ११ ग्रामपाल लाइन के लियाँ जै कोई अपती नहीं है। ग्राम सभा इस मस्ताव से इकमत है।

यह अनापाते महामास पत्र ग्राम पंचायत बुचारा की बैठक दिनांक ०२-१०-२२ के मस्ताव संख्या ०३ द्वारा पारित की जाती है।

कंदन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

राज्य प्रशासन गुजरात
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, बुचारा
पंचायत समिति

विमला

प्रस्ताव सं. ३

लेटर नं. ४१२०८५ (विवरण) मुद्रण क्रमा - २-१०.२.३०
सीइर - अलीगढ़ पारेष्ठा

लाईन के नियोजन की विकास हेतु F.R.A. (अनापति
प्रमाण पत्र) जारी करने के संबंध में।

निर्णय - उपरियत चोरम के समझ अधिकारी महोदय ने
प्रस्ताव रखा है कि विवाह विकास अधिकारी महोदय
पचासह समिति पावडा, जयपुर के आदेश के मांत्र

२९३६ - ३७ नियोजन २१ - ०३ - २०२२ विषय ७६५ K.V /

३/८ सीइर अलीगढ़ पारेष्ठा लाईन टावर संस्था

१०२/०० से १०३/०० तक खसरा संस्था ११३०/६,
११८९/६, २२, १२०५/४२, १२०४/५१

में (०.२२१२ वर्ग रुपी) हेक्टेएर है।

उक्त लाईन के गलियों में ग्राम जोधपुर
में अनुशृण्वित जननाति तथा वाहन संशुद्धि उक्त
खसरा में निवास नहीं होते हैं। उक्त लाईन
के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
उपरियत चोरम ने विवाह - विमर्श दिया।

तथा ७६५ K.V. ३/८ सीइर - अलीगढ़ पारेष्ठा

लाईन नियोजन हेतु (F.R.A.) अनापति प्रमाण
पत्र जारी करने का नियम सर्वसम्मति से पारित
दिया गया।

कंचन चमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावडा प्रिड, अलीगढ़

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पचासह जोधपुरा
पं. स. पावडा जि बयान

सरपंच
ग्राम चौधायत, जोधपुरा
पं. स. पावडा (जयपुर)

वैठक कार्यकारी विवरण ग्राम सभा 02-10-2022

प्रस्ताव संख्या 01 :- मुख्यमंत्री चिरंजिकि भौजना का प्राप्त
प्रचुर प्रसार करने एं भौजना की आमजन की लाभान्वित
किये जाने पर चर्चा।-

लिंगम् :- उपाख्यत कोरम् एवं अद्यामुक महोदया के सम्बन्ध संधिव
प्रगम पूँचामत एवं ANM अधिभति भीना भावना ने मुख्यमंत्री चिरंजिकि
भौजना के कारे मे विस्तार से सम्बन्धा छोर की जेव
परिवारी की शाश्वत काठ ने व्याधान सामग्री भेलती है तो
परिवारी (NFSA है) की उक्त भौजना का लाभ राज्य सरकार
द्वारा भुक्ति 10 लाख रुपये तक का भुक्ति क्लाइ मुद्देया जूखरी
है व भाष्य ही प्रदेश के वे परिवार जिनको वर्तमान मे
राज्य / कॉन्ट्र वरकार द्वारा मैटिकलेंग / मैटिकलू डाक्टेन्ट
नियम के अनुसार लाभ लावी क्ली रुपा है वे परिवार
के ४५० (आठसौ पचास) का भुगतान कर भौजना मे जुड़
सकते है इसीत राज्य का कोई भी नामांकन भौजना से चुक्सक्ता
है। NFSA एवं DSCC के पुरे मे भाष्यान्वित परिवारी की इस भौजना
मे पूँचामत करवाने की आवश्यकता नही छोरी उक्त भौजना
का लाभ ज्ञाते ही लीट नाजदीकी Emission पर जाकर Chittaranjan
refasthan.gov.in. पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते है उक्त भौजना मे
विनियोगान करवावे के लीट भाष्य के पास जन आवाह काठ, जन आवाह
काठ आवाह परिवार पंजिमन रसिद ऐं ऐ नीटी एक
को छोना आवश्यक है उक्त भौजना का उत्तिक से इधिक
भ परिवारी को लाभान्वित करवाए जाने का महाव
क्षमितामती के पारीत कीमा गया।

प्रस्ताव संख्या 02 ग्राम पूँचामत भुवारी की जन आवाह
सूचि (01-01-2022 तो 30-06-2022) का छोक्सांत एवं क्षुगांत
लिंगम् :- उपाख्यत कोरम् एवं अद्यामुक महोदया के सम्बन्ध
संधिव द्वारा ग्राम पूँचामत कोरम भुवारा, पूँसू पात्था
की जन आवाह सूचि (01-01-2022 तो 30-06-2022) तक
को पढ़कर खुलासा गमा एवं भाष्य जन ते उक्त छुप्ति

(II)

कवच कुमार चौधरी
मुख्यमंत्री अवलक
वरप्रिंड, अलवर

लिम्नला
ग्राम सभा
ग्राम सभा

नेहक लाइब्रेरी विभाग का संग्रहीत । 02-10-2022

- का उन्नेस्को (मल्टीमीडिया प्रॉग्राम) करवाया गया जिसके उपर्युक्त लोरेस में कठीन सर्वेक्षणों की दृष्टिकोणों की अवधारणा और अन्य कार्यों की विवरणों की विवरणों की अवधारणा लेकर अभ्यासकारी शोजनाएँ की दृष्टिकोणों की अवधारणा लाई जा प्रशासनिक प्रतिवेदन बनाया गया।

प्रौजन्न बार लाइन की दृष्टिकोण

क्रम	मौजन्न का लाइन	कुल लाइब्रेरी विराग	संख्या	कुल लाइन
1	राहान अविदेश ग्रौं	461	2252	61715
2	राहान ग्रौं	461	2252	64055
3	अनुज्ञाति के विद्याधियों के दृष्टिकोण	10	13	12250
4	अनुज्ञाति — २० —	— 10 —	15	15750
5	विशेष प्रदृष्टि की — ५० —	— 3 —	3	2700
6	राजनी मौजन्न	— 23 —	23	65000
7	मुख्यमंत्री उद्घासित हातवर्ती	— 3 —	3	9500
8	सामाजिक सुरक्षा प्रश्नों के	— 253 —	364	1234000
9	58C/1m8C के दारी के लिए हातवर्ती	— 2 —	3	2000
10	जननी सुरक्षा मौजन्न	— 10 —	10	16211

प्रस्ताव संख्या ०३ ७६५ K.V. D/C बीकर - अलीगढ़ पारेश्वर लाइन के निकालने की स्वीकृति हेतु F.R.A (उनापनी प्रमाण प्रमाण) जारी करने के संबंध में।

निपाथ : - उपर्युक्त कार्रवाई के समक्ष अध्यक्ष महोदय ने ५८८/१८ संख्या की श्रीमान विकास आदिकारी महोदय पंचायत समिति परिवर्तन, अमृपुर के खालील अम्बक २९३८-३८ दिनांक २७-०९-२०२२ विषय ७६५ K.V. D/C बीकर अलीगढ़ पारेश्वर लाइन द्वारा संख्या ८१/३,८१/४,८१/५,८१/६/८१/२ जी की व्यवस्था १२०२ १०७७, १०७८, १०७९, १०९२, १०९३ ग्राम शुल्कारा में १००६१८ (वन शुल्क) है उक्त लाइन के ०१०१ मारों में ०१०१ शुल्कारा में अनुस्थित जनज्ञाति ग्रौं दृष्टि के ५२३५११ ग्राम वन निवासी (वन आदिकारी की मान्यता) १०१ अक्षिते समुद्र दृष्टि

(H.S.)

कवन कुमार श्रीधर
मुख्यमंत्री
पारम्परिक, अलीगढ़

विजयला

संसद
नियमान्वय
प्रयोग का

बैंक कामियादी विवरण) ज्ञाम संग्रह 02-10-2022

स्वतंत्रा में विवाह नहीं करते हैं उन्हें लाईन के लिए
अनाधिक प्रभाग पर जारी करने के लिए उपायित
कोरम ने विचार विभाग किए तथा - 65 K.N. ३/
सीलर - मालीशट पार्ट्स लाईन निकालने हेतु (F.R.A)
उन्हें प्रभाग पर जारी करने का नियम सर्व समाजी
वी पारीत किया गया।

प्रस्ताव संक्षेप ०५ :- ज्ञाम पंचामत और जुचारा में अवैध रखने
का को लकाने वाला।

विवरण:- ज्ञाम पंचामत जुचारा के बारे में जी मुलवान्द घोषि
के सुधामहो मालीशट इवं उपायित कोरम की उन्हात वर्खाया
कि ज्ञाम पंचामत और मे-दारागाह नूमि मे-कुर्स।
हीष्ठ दूर्वेद रखने का की यो ज्ञाम पंचामत जुचारा के बारे में
नियम नियम है इस अवैध रखने के बारे में ज्ञाम पंचामत
व रखने विभाग की बहुत कड़ी छानी हो रही है तथा
सभी ही ज्ञाम पंचामत और मे पशुओं व जाम आदि की
की हमेशा रखना है इसके बाद जात्यारों के
अवैध रखने का की समझ नहीं रखता। यहाँ तो
बहुत कड़ी आसदी मा जापदा हो जाती है उन्होंने
अवैध रखने को ज्ञातिशिष्ट रखता। उन्होंने ३ कर
प्रदान एवं उपायित कोरम सर्व समाजी से नियम
पारीत किया की आतिशिष्ट ही उन्हें आविकारिया
की जाएगा एवं उन्होंने इस अवैध रखने का को
की रखने का का नियम सर्व समाजी से ५११२
किया गया।

कार्यालय पंचायत समिति पावटा, जिला—जयपुर(राज.)

क्रमांक:— पंसपा/पंचा.शा/2022/2935-37

दिनांक:— २३/०९/२०२२

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बुचारा एवं जोधपुरा

विषय:— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हैं तु विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने बाबत।

प्रसंग:— राजस्व/2022/1405 दिनांक 04.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सदर्भ में लेख है कि पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड सीकर से अलीगढ़ 765 के.वी. डब्लू सर्किट पारेषण लाइन टावर संख्या (81/3,81/4, 81/5, 81/6) जो कि खसरा 1077 1078, 1079, 1092 1093 ग्राम बुचारा में 11.0617 है (वन भूमि) में एवं टावर संख्या (101/0, 102/0, 103/0, 104/0) जो खसरा संख्या 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41 ग्राम किराडोद, में 0.2212 है (वन भूमि) में है, कुल 11.2828 है 0 वन भूमि में है, उक्त लाइन के गलियारें में आने वाले ग्राम बुचारा एवं किराडोद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता), अधिनियम 2006 के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किये जाने हैं तु निर्देशित किया है। अतः आगामी 02 अक्टूबर 2022 को होने वाली ग्राम सभा में उक्त से सबंधी नियमानुसार प्रस्ताव लेकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विकास अधिकारी

पं.स. पावटा(जयपुर)

दिनांक:— २३/०९/२०२२

क्रमांक:— पंसपा/पंचा.शा/2022/ 2935-37

प्रतिलिपि:—

01. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, पावटा।
02. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी

पं.स. पावटा(जयपुर)

कंवन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2022 / १५०८

दिनांक:- ०४.०८.२२

विकास अधिकारी,
पंचायत सभिति, पावटा।


विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परापरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने वायत।

प्रसंग:- श्रीमान अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी महोदय(गाडा), जिला परिषद जयपुर के पत्रांक जिपज/माडा/वन/ 2022-23 / 161-164 दिनांक 27.07.22।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि पावरग्रिड अलीगढ़ रीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड रीकर से अलीगढ़ 765 के०वी० डबल सर्किट पारेषण लाईन टावर संख्या(81/3, 81/4, 81/5, 81/6) जो कि खसरा संख्या 1077, 1078, 1079, 1092, 1093 ग्राम बुचारा में 11.0617 है०(वन भूमि) में एवं टावर संख्या(101/0, 102/0, 103/0, 104/0) जो खसरा संख्या 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41 ग्राम किराडोद में 0.2212 है० (वन भूमि) में है, कुल 11.2828 है० वन भूमि में है० उक्त लाईन के गलियारें में आने वाले दो ग्राम बुचारा एवं किराडोद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारी की मान्यता), अधिनियम 2006 के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


उपराक्षण अधिकारी
पावटा (जयपुर)


कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावटा प्रमिण, अलवर

SDM OFFICE PAOTA, Email: sdo.paota.jpr@gmail.com, Add-Opposite to JN Vidhaylay, Paota, 303106

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com

Ph. 0141-2207970

क्रमांक : जिपज / माडा / वन / 2022-23 / 161 - 169

दिनांक :- 27-07-2022

✓ उपर्युक्त अधिकारी,
पावटा, जिला जयपुर।

२०२२
विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परापरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत Forest Land 11.2828 ha. Diversion Proposal no. FP/RJ/TRANS/144853/2021 For Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.)

सन्दर्भ:- वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिड, जिला अलवर के पत्र क्रमांक NR1/SATL/TW01/PALWAL/ENVIRONMENT/दिनांक 23.06.2022

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ अन्तर्गत Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) के लिए जयपुर जिले में निम्नानुसार आवश्यक कुल 11.2828 हेक्टेयर वनगृहि का अनुसूचित जनजाति और अन्य परापरागत वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 अन्तर्गत व्युपर्यातन (Diversion) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु Proposal no. FP/RJ/TRANS/144853/2021 प्राप्त हुआ है:

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसांसा नं.	आवश्यक वनभूमि क्षेत्रफल
1	पावटा	Buchara	1077	7.5509
2	पावटा	Buchara	1078	0.3216
3	पावटा	Buchara	1079	2.2914
4	पावटा	Buchara	1092	0.0268
5	पावटा	Buchara	1093	0.8710
6	पावटा	Kirarodh	1190/6	0.0067
7	पावटा	Kirarodh	1189/6	0.0034
8	पावटा	Kirarodh	22	0.1005
9	पावटा	Kirarodh	1205/42	0.0972
10	पावटा	Kirarodh	1204/41	0.0134

प्राप्त प्रस्ताव मूल ही संलग्न कर अनुसूचित जनजाति और अन्य परापरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संगति की वर्चा एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अतः उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेजों एवं कार्यवाही विवरण अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को गिजावाने का श्रम करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

क्रमांक : जिपज / माडा / वन / 2022-23

प्रतिलिपि:

- श्रीमान् जिला कलक्टर, जिला जयपुर।
- वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिड, जिला अलवर।
- रक्षित पत्राबली।

अधिकारी का दावा
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर

(सुमन देवी) R.A.S.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)

जिला परिषद जयपुर

दिनांक:- 27-07-2022

(श्री कलाकार चन्द भौमी)

(कामा नं. 10)
(कामा नं. 10)
शास्त्र शप्तवा

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद जयपुर



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (i)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

वन भूमि की विधिक परिस्थिति के अनुपालन का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर, सीकर और जयपुर संभाग में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Kanchan Kumar Choudhary

मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.

(100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (ii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर, सीकर और जयपुर संभाग में प्रतिपूर्ति वनीकरण स्वीकृत भूमि पर ही किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग को प्रतिपूर्ति वनीकरण की राशि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा CAMPA Fund में UTR No. SBIN123241577797, Dated - 29.08.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है।

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य संसाधन अधिकारी/Chief General Manager

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, New Delhi-110016



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (iii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी की कीमत पर प्रतिपूरक वनीकरण अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा, प्रतिपूरक वनीकरण शर्त क्रमांक बी(3) में दर्ज स्थानों और क्षेत्रफल के अनुरूप होगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति का मोनो-कल्वर नहीं किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा CAMPA Fund में UTR No. SBIN123241577797, Dated -29.08.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Kanchan Kumar Choudhary

मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.

(100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110030
(100% Subsidiary of POWERGRID)



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (iv)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर, सीकर और जयपुर संभाग में काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या, शर्त क्रमांक बी(4) में दर्ज की गई संख्या 1917 से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पेड़ों की पातन हेतु आवश्यक धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग को जमा किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Chief General Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (v)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान वन क्षेत्र और वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (vi)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के दिशानिर्देशों, यदि कोई मान्य हो, का पालन करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name: 
Office Seal & Signature:
Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Kathputli, New Delhi-110016
मुख्यालय: B-9 Qutub Institutional Area, Kathputli, New Delhi-110016
Chaitanya Baraiya / Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (vii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

कंचन कुमार चौधरी

Kanchan Kumar Choudhary

मुख्य मन्त्री/Chief General Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं

(100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (viii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान किसी भी तरह का लेबर कैम्प/ श्रमिक शिविर नहीं निर्मित किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name: *[Signature]*

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(100% Subsidiary of POWERGRID)

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110026



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (ix)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य वैधानिक स्रोत से खरीदने के बाद उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, (अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन) प्रदान किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि。
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलीगढ़, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Kirti Nagar, New Delhi-110016



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (x)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, परियोजना लागत पर, डाइवर्टेड वन भूमि को सीमांकित किया जाएगा, मान्य है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिंग
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xi)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण परियोजना कार्य के निष्पादन के दौरान निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar-II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xiii)

Full title of the Project:

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar-II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110046



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xiv)

Full title of the Project:

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेंसी स्टेज (I) के शर्तों के संबंध में वार्षिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट हर साल मार्च के अंत तक राज्य सरकार को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में प्रस्तुत करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(100% Subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)
अलीगढ़, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110036
(100% Subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xv)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेंसी नियमों, अधिनियमों, शर्तों और माननीय न्यायलयों एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा जारी उन सभी दिशानिर्देश/आदेशों का पालन करेगी जो इस परियोजना से सम्बद्ध हो। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Kanchan Kumar Choudhary

मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xvi)

Full title of the Project:

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम (1980) का उल्लंघन होगा। जिसमें MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017 –FC dt.29/01/2018 के अनुसार कारवाई होगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इन नियमों का पूर्ण पालना करेगी।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Kanchan Kumar Choudhary

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
मुख्य मन्त्री/Chief General Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं.

(100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xvii)

Full title of the Project:-

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत कोई अन्य शर्त जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, के पालना को सुनिश्चित करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016



पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xviii)

Full title of the Project:

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur – 11.2828 ha. and Sikar – 0.2278 ha.)

Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 18 (Part-B) की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा सभी शर्तों की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर दिया जायेगा।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation KATHMANDU CIVIL ENGINEER
Chief General Manager
Alwar TEC



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज०) – 301001



आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ18()एफ.सी.ए./उवसं-अल./2023/696

दिनांक : २०/०७/२०२३

निमित्त,

श्री कंचन कुमार चौधरी,
वरिष्ठ महाप्रबंधक,
सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर।

विषय:- वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० : FP/RJ/TRANS/144853/2021 में आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/RJ/TRANS/144853/2021 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित हैं। इस प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है परन्तु हाल ही में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि नियत प्रक्रिया से पूर्व ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य सम्पादित किया गया है। इसके संबंध में तथ्यात्मक बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. आपके द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/RJ/TRANS/144853/2021 दिनांक 03.09.2021 को परिवेश पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु अलवर वन मण्डल अधीन 4.3215 हैक्टेयर वन क्षेत्र आता है।
2. उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 09.10.2022 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट पार्ट-II में संलग्न है।
3. दिनांक 14.06.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनः मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रस्ताव में सम्मिलित गोठडा वनखण्ड रेंज किशनगढ़बास में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन वन भूमि 0.15 हैक्टेयर के ऊपर गैर वानिकी कार्य ट्रांसमिशन लाईन के तार खींच लिये पाये गये।
4. इस उल्लंघन के संज्ञान में आते ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपको सूचित किया गया, जिस पर आपके द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री बजरंग चौधरी, प्रबंधक को मौके पर भेजा गया। जहाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मौके पर आपके प्रतिनिधि द्वारा उल्लंघन होना स्वीकार किया गया।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में इस कार्यालय को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी की गई मार्गदर्शिका 2019 के पैरा सं0 1.21 के तहत कार्यवाही की जाये? यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में ले ली जावेगी।

(०० के० श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
अलवर


क्रमांक : एफ18()एफ.सी.ए./उवसं-अल./2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए०, राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

उप वन संरक्षक,
अलवर



U/C Annexure - 4

POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED
(A Wholly Owned Subsidiary of POWERGRID)
Plot No- 339, Shanti-Kunj Scheme, Alwar- 301001

संदर्भ: पीजी/एमआर-1/अलवर/बन डायवर्जन-
सेवा में,
उप बन संरक्षक महोदय,
बन भंडल, अलवर (राजस्थान)-301001

दिनांक: 03.08.2023

विषय: “765 केवी डी/सी सीकर -II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन, जिला - सीकर, जयपुर और अलवर (राजस्थान) के राजस्थान भाग एपी-01 से एपी-183 कॉम्प्लेक्स प्लाईट (राजस्थान) के निर्माण के लिए 15.6043 हेक्टेयर बन भूमि के डायवर्जन के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/TRANS/144853/2021

प्रस्ताव की तिथि: 26-07-2021

डायवर्जन क्षेत्र: 15.8321 हेक्टेयर (अलवर बन प्रभाग क्षेत्र- 4.3215 हेक्टेयर)

संदर्भ: एफ 18 /एफ.सी.ए./उवसं-अल./2023/696 दिनांक: 20.07.2023

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक एफ 18/एफ.सी.ई./उवसं-अल./2023/696 दिनांक: 20.07.2023 के सन्दर्भ में हम अवगत कराना चाहेंगे कि

1. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक उपक्रम है, जो भारत के सभी राज्यों में फैले अपने नेटवर्क के साथ अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण और खरखाच के लिए जिम्मेदार है। पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड(PASTL), पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, जिसे पूर्व में सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, द्वारा ट्रांसमिशन लाइन पैकेज TW02 के अंतर्गत सीकर-II - अलीगढ़ 765kV D/C पारेशन लाइन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उक्त लाइन ट्रांसमिशन परियोजना चरण II -भाग-डी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा से उत्पन्न 8.1 गीगावॉट विजली के निकासी हेतु प्रस्तावित है, जिससे राजस्थान सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को लाभ होगा।
2. उक्त ट्रांसमिशन लाइन तीन (03) राज्यों (राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) से होकर गुजर रही है। राजस्थान में उक्त लाइन सीकर, जयपुर और अलवर जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें अलवर जिले में गोठरा (0.1541 हेक्टेयर) और निमली (4.16 हेक्टेयर) बन क्षेत्र शामिल हैं। तदनुसार, राजस्थान राज्य की बन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव पावरग्रिड द्वारा दिनांक 26.07.2021 को जमा कर दिया गया था। (प्रस्ताव संख्या एफपी/आरजे/ट्रांस/144853/2021)
3. पावरग्रिड द्वारा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सहित समस्त परियोजना निर्माण कार्य टर्नकी एजेंसी के रूप में मेसर्स कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (मेसर्स केपीटीएल), गांधीनगर को सौंपा गया है। तदनुसार, मेसर्स केपीटीएल, ट्रांसमिशन लाइन का फाउंडेशन, इक्शन और स्ट्रिंगिंग का कार्य निष्पादित कर रहा है। संविदा अनुसार मेसर्स केपीटीएल को कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी वैधानिक मानदंडों का पालन करना है।
4. उक्त लाइन अलवर जिले में बन भूमि (4.3141 हेक्टेयर) के 2 स्थानों से गुजर रही है। निष्पादन एजेंसी (मेसर्स केपीटीएल) ने बन क्षेत्र को छोड़कर अलवर जिले में फाउंडेशन, इक्शन और स्ट्रिंगिंग का समस्त कार्य पूरा कर लिया है। चुंकि वर्तमान में परियोजना कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, अतः संविदा अनुसार परियोजना के अंतर्गत समस्त दायित्व निष्पादन एजेंसी (मेसर्स केपीटीएल) के ही अधीन है और PASTL ने अभी तक परियोजना कार्य को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लिया है। मेसर्स केपीटीएल परियोजना के टीएल कार्य को संविदा के समस्त शर्तों के अनुरूप पूरा करने पश्चात ही PASTL (पीएसटीएल) को सौंपेगा।

26-8-2023

पंजीकृत कार्यालय: एससीओ बे नंबर 05 से 10, सेक्टर- 16ए, फरीदाबाद, हरियाणा - 121002

Om
कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
पावरग्रिड, अलवर



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED
(A Wholly Owned Subsidiary of POWERGRID)
Plot No- 339, Shanti-Kunj Scheme, Alwar- 301001

- Pastl पावर ग्रिड द्वारा मेसर्स केपीटीएल को अलवर जिले में पड़ने वाले उक्त वन क्षेत्र से गुजरने वाली वन भूमि का ब्लॉकरा दे दिया गया था और उक्त वन भूमि के डायवर्जन से सम्बद्ध प्रस्ताव की यथास्थिति की स्पष्ट जानकारी दी गई थी। उक्त वन भूमि के डायवर्जन से सम्बद्ध प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना मेसर्स केपीटीएल को वन क्षेत्र में किसी भी तरह के परियोजना कार्य नहीं करने का निर्देश भी दिया गया था। कुछ दिन पहले यह जात हुआ है कि निष्पादन एजेंसी (मेसर्स केपीटीएल) ने गोठरा डिवीजन में वन भूमि (0.1541 हेक्टेयर) पर स्ट्रिंगिंग का कार्य किया है। निष्पादन एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने पर जवाब दिया कि वन भूमि पर कोई भी टावर फाउंडेशन या इक्रेशन का कार्य नहीं किया गया है। हालांकि टावर संख्या 164/1 से 165/0 के मध्य स्थित उक्त वन भूमि के एक कोने के 18 मीटर ऊपर से लाइन का एक फेज कन्डक्टर गुजर गया है। आगे उनका कहना है कि मेसर्स केपीटीएल के स्ट्रिंगिंग गैंग/साइट इंजीनियर के द्वारा अनजाने में ही उक्त वन भूमि के ऊपर से स्ट्रिंगिंग करता दिया गया था। क्योंकि जमीन पर वन विभाग का सीमांकन/साइन बोर्ड के अभाव में उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं हो पाई थी कि उक्त भूमि के टुकड़े का वह हिस्सा वन विभाग का है। (मेसर्स केपीटीएल का पत्र संलग्न)
 - मेसर्स केपीटीएल (निष्पादन एजेंसी) ने स्वीकारा कि वन भूमि पर स्ट्रिंगिंग कार्य नहीं किया जाना चाहिए था, यह पूरी तरह से अनजाने में हुआ है। साइट की अस्तुगत स्थिति को देखते हुए उक्त कार्य इसलिए भी किया गया ताकि वन भूमि के बाहर खड़े विद्युत टावर और तारों के भार को स्थायित्व मिल सकें। क्योंकि उक्त वन भूमि खंड के कारण यदि कन्डक्टर के एक फेज को नीचे रखना पड़ता तो यह तकनीकी रूप से ही नहीं अपितु सुरक्षा के दृष्टि से भी अति चुनौतीपूर्ण होता। इसके अलावा, कन्डक्टर चोरी को रोकने और मानव जीवन और संपदा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य को किया गया। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कई निम्न और मध्यम बोल्टेज की विद्युत वितरण लाइनें गुजर रही हैं, ऐसे में स्ट्रिंगिंग को किसी अस्थाई व्यवस्था या तरीके से अधूरे रोकना तकनीकी और सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयुक्त नहीं था। पुनर्वा, उक्त वन भूमि पर कोई भी भौतिक निर्माण कार्य नहीं किया गया है और वन भूमि पर किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया है। यह कोई भी अन्य नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यह कार्य वन भूमि पर किसी भी भौतिक अतिक्रमण के बिना संभावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया गया है।
 - PASTL ने परियोजना निष्पादन एजेंसी (मेसर्स केपीटीएल) के इस कृत्य को काफी गंभीरता से लिया है। पावरिंगड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा और अधिनियम के अनुसार लगाए गए दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान भी करेगा। साथ ही, वन विभाग द्वारा अध्यारोपित सभी विधिक शर्तों और लागतों (भारत सरकार/राजस्थान सरकार) की पालना की जायेगी।
 - यह विदित हो कि अलवर जिला में गोठरा डिवीजन के तहत उल्लंघन की गई वन भूमि (0.15 हेक्टेयर) PASTL द्वारा प्रस्तुत वन प्रस्ताव का एक हिस्सा है और जिसकी मंजूरी आईआरओ, जयपुर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। साथ ही 14.06.2023 को आईआरओ(IRO), जयपुर में आयोजित 10 वीं आईटी(REC) बैठक के माध्यम से, उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के पैरा 1.21(ii) के अनुसार दंडात्मक एनपीवी(NPV) के साथ अनुशंसित किया गया है।
 - निवेदनार्थी कहना है कि यह कार्य निष्पादन एजेंसी(Executing Agency) द्वारा अज्ञातवश कर दिया गया है अतः विनाश अनुरोध है कि राष्ट्रीय महत्व के इस परियोजना के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, पावरशिड, उत्तरी क्षेत्र-।

कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
सरप्रिंड, अलवर

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पालसरठ अलगढ़ी सिकर ट्रांसमिशन लि.
ईमेल: 100% Subsidiary of POWERGRID)
अलगड़, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

पंजीकृत कार्यालयः एससीओ बे नंबर 05 से 10, सेक्टर- 16ए, फटीदाबाद, हरियाणा १२०८० Subsidiary of POWERGEN
मुख्यालयः गुरुग्राम/Alwar, Rajasthan



सरकारी जलवायन

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायन परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

शोधीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

(Sub Regional Office, Jaipur)



ए वीग— 407 एवं 409, "अरण्य भवन", श्री.एच.—३ सर्किल के समीप, सेक्टर-१०ए, गांधीनगर-३८२०१०/
A wing-407& 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक : 10 अगस्त, 2023

सेवा में
शासन सचिव (वन),
संसदीय सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/TRANS/144853/2021)

विषय : Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II–Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan–Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District-Alwar, Sikar, and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.

सन्दर्भ : शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक — प. 1 (25) वन / 2023, जयपुर, दिनांक – 03.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का काट करें जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धार (2) के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मार्गी गई थी।

प्रकरण के परिणामस्वरूप केवल सरकार उपरोक्त विस्तारित परियोजना हेतु 15.8321 हेक्टेक्टर का, वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पाठन की संबंधित स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है—

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (p.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in the regard.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
6. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in front of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation is as below:

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/ Comptt. No.	Area (ha)
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00
2	Jaipur	Kotputli	Buchera	07	32.50
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00
					Total 50.50

4. User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
6. User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.
9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The forest land shall not be used for any purpose other than this specified in the project proposal.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 1142/2017-FC d/29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

मवदीय/Sincerely,

कंचन कुमार चौधरी/K.K. Chaudhary
ग्रुप एस ग्रैंड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावर ग्रुप अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावर ग्रुप अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
आलवार / ALWAR

श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma
शोधीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office
शोधीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

